संख्या- 9/2017/1127/53-2-17-10(बजट)/2017

प्रेषक,

राज कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2017

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-364/ वित्त सम्भाग-3/राजस्व लेखा/आवं0/2017-18, दिनांक 03.08.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-467/53-17-10(बजट)/17, दिनांक 21.04.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विभाग) के अन्तर्गत प्रथम पांच माह हेतु (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 2930.29 लाख (रू0 उनतीस करोड़ तीस लाख उनतीस हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 2930.29 लाख (रू0 उनतीस करोड़ तीस लाख उनतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के मूल आय-व्ययक में दुग्ध विकास विभाग के अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक ''2404-डेरी विकास-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें'' में रू0 2681.77 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। अतः शासनादेश संख्या-467/53-17-10(बजट)/17, दिनांक 21.04.2017 द्वारा निर्गत रू0 2930.29 लाख (रू0 उनतीस करोड़ तीस लाख उनतीस हजार मात्र) के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के मूल आय-व्ययक में दुग्ध विकास विभाग के अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक ''2404-डेरी विकास-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें'' में प्राविधानित रू0 2681.77 लाख (रू0 छब्बीस करोड़ इक्यासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित मदों में उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

मुख्य शीर्षक मानक मद/कोड	**वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक प्राविधान**	**वर्ष 2017-2018 में स्वीकृति**
01-वेतन	2115.56	2115.56
03-मंहगाई भत्ता	126.93	126.93
04-यात्रा व्यय	10.00	10.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6.00	6.00
06-अन्य भत्ते	120.00	120.00
08-कार्यालय व्यय	5.00	5.00
09-विद्युत देय	4.00	4.00
10-जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.50	1.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
13-टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
14- मोटर गाडियों का क्रय	28.00	28.00
15-गाडियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	8.00	8.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	72.00	72.00
17-किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	10.00	10.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

42-अन्य व्यय	0.10	0.10
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.50	1.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.50	2.50
49-चिकित्सा व्यय	21.00	21.00
51-वर्दी व्यय	1.00	1.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	143.68	143.68
योग-2404 आयोजनेत्तर	**2681.77**	**2681.77**

(रू0 छब्बीस करोड़ इक्यासी लाख सतहत्तर हजार मात्र)

2- लेखानुदान अवधि के लिए जारी की गयी वित्तीय स्वीक़ृति की धनराशि को घटाने/समायोजन करने के पश्चात धनराशि का आहरण किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

3- वित्तीय वर्ष 2017-18 से आय-व्ययक में आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है । अत: धनराशि का आहरण करते समय बिल में आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख न किया जाय ।

4- उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा और जहां वित्तीय नियमों/शासकीय निर्देशों के अनुसार अपेक्षित हो, धनराशि का आहरण, व्यय करने के पूर्व शासन/विभाग के सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विभाग) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-**'2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें''** के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6- उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप शासनादेश संख्या-467/53-17-10(बजट)/17, दिनांक 21.04.2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 9/2017/1127(1)/53-2-2017, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपाशंकर यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://shasanadesh.up.nic.in